THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-05 | Issue-01 | April-2026
Available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i1.07

अनुसूचित जाति की महिलाओं में उद्यमिता के प्रतिमान

(जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विकासखंड पर आधारित समाजशास्त्रीय अध्ययन)

मनमोहन[1] एवं डॉ. देवमणि[2]

[1]शोध-छात्र, आचार्य नरेन्द्र देव किसान पी. जी. कॉलेज, बभनान, गोंडा(उ.प्र.)

[2]शोध निर्देशक एवं असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव किसान पी. जी. कॉलेज, बभनान, गोंडा(उ.प्र.)

सारांश:

प्रस्तुत शोधपत्र जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विकासखंड में निवासरत अनुसूचित जाति की महिलाओं में उद्यमिता के उभरते प्रतिमानों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। भारत में अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाएँ जाति, लिंग और वर्ग के त्रिस्तरीय भेदभाव का सामना करती हैं जो उनकी उद्यमशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इस शोध में मिल्कीपुर विकासखंड के संदर्भ में यह जाँचने का प्रयास किया गया है कि स्वयं सहायता समूहों, सरकारी योजनाओं और सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से इन महिलाओं में उद्यमिता की क्या स्थिति है? कौन-से सामाजिक-आर्थिक कारक इसे प्रभावित करते हैं? और कौन-सी बाधाएँ प्रमुख हैं? अध्ययन में पाया गया कि स्वयं सहायता समूहों ने इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है किन्तु जातिगत भेदभाव, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, वित्तीय अभिगम्यता की कमी और बाज़ार संपर्क का अभाव अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

मुख्य शब्द: अनुसूचित जाति, महिला उद्यमिता, स्वयं सहायता समूह, मिल्कीपुर, अयोध्या, सामाजिक सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास।

प्रस्तावना:

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। देश की कुल सीमान्त श्रमिक जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात लगभग 90 प्रतिशत है और कृषि कार्यों में संलग्न ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत लगभग 78 है। इसके बावजूद, देश में महिला उद्यमिता की दर अत्यन्त निम्न बनी हुई है। भारत में कुल उद्यमियों में महिलाओं का अनुपात मात्र लगभग 10 प्रतिशत है और ग्रामीण-शहरी अंतर अत्यधिक है। इस पृष्ठभूमि में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति और भी विषम है। उन्हें जाति-आधारित भेदभाव, लैंगिक असमानता और आर्थिक वंचना, इन तीनों का एक साथ सामना करना पड़ता है। ये महिलाएँ समाज में सर्वाधिक हाशिये पर रहने वाले वर्ग समझे जाते हैं जो अपने अस्तित्व और पहचान के लिए संघर्षरत हैं। जातिगत बंधन न केवल उनकी सामाजिक गतिशीलता को बाधित करते हैं बल्कि आर्थिक अवसरों तक उनकी पहुँच को भी सीमित करते हैं। अनुसंधान बताते हैं कि जाति वित्तीय अभिगम्यता को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करती है जो लिंग, भूगोल और सामाजिक पहचान के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है। उत्तर प्रदेश, जो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात लगभग 21 प्रतिशत है। जनपद अयोध्या का मिल्कीपुर विकासखंड एक अर्ध-ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ अनुसूचित जाति की महिलाओं की

सामाजिक-आर्थिक स्थिति अभी भी अत्यन्त दुर्बल है। यह क्षेत्र कृषि-प्रधान है और यहाँ की आर्थिक संरचना पारम्परिक व्यवसायों पर निर्भर है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य इसी संदर्भ में इन महिलाओं में उद्यमिता के उभरते प्रतिमानों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है।

शोध का उद्देश्य:

मिल्कीपुर विकासखंड में अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना। इन महिलाओं में उद्यमशीलता के विभिन्न प्रतिमानों को चिह्नित करना। इन महिलाओं की उद्यमिता को प्रभावित करने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और संस्थागत कारकों का विवेचन करना। महिलाओं की उद्यमिता को संवर्धित करने वाले स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं की भूमिकाओं का मूल्यांकन करना। महिला उद्यमिता में आने वाली प्रमुख बाधाओं को रेखांकित करना और नीतिगत सुझाव देना।

अनुसूचित जाति की महिलाओं और उद्यमिता पर पूर्व अध्ययन:

अनुसूचित जाति की महिलाओं में उद्यमिता पर विगत दशकों में कई अध्ययन हुए हैं। **मंडल एवं हर्णवाल**[1] के अध्ययन में असम के चिरांग जिले में अनुसूचित जाति की महिला उद्यमियों की चुनौतियों का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि परिवार एवं व्यवसाय में संतुलन बनाने में असमर्थता, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ, पुरुष-प्रधान समाज, निरक्षरता, वित्तीय सहायता का अभाव, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी और आत्मविश्वास का अभाव प्रमुख बाधाएँ हैं। **मुनिराजु**[2] ने ग्रामीण कर्नाटक में अनुसूचित जाति की महिला उद्यमियों की दक्षता और प्रदर्शन का अध्ययन करते हुए बताया कि जागरूकता की कमी, सूचना का अभाव, वित्त तक पहुँच में कठिनाई, उद्यमशीलता प्रशिक्षण का अभाव, बाज़ार एवं नेटवर्क सहायता की कमी और प्रबंधकीय कौशल का अभाव प्रमुख चुनौतियाँ हैं। **सचन एवं सेठी**[3] ने हरियाणा के हिसार जिले में 120 अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाओं पर अध्ययन किया और पाया कि आर्थिक निर्भरता और विपणन चुनौतियाँ प्रमुख बाधाएँ थीं। तकनीकी पहलुओं से संबंधित निर्णय मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा स्वयं लिए जाते हैं, किन्तु वित्तीय निर्णय पारिवारिक स्तर पर होते हैं।

अनुसूचित जाति की महिलाओं में उद्यमिता और स्वयं सहायता समूहों की भूमिका:

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम सिद्ध हुए हैं। वाराणसी में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि स्वयं सहायता समूह में शामिल होने के बाद महिला उद्यमियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, उनकी आय में वृद्धि हुई, साहूकारों पर निर्भरता कम हुई, स्वयं सहायता समूह पर निर्भरता बढ़ी और बचत की आदत में सुधार हुआ। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह को उद्यमिता अपनाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनमें कोष, संसाधन, जनशक्ति, तकनीकी ज्ञान और नीतिगत जागरूकता की कमी प्रमुख हैं। दलित महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर **आलम**[4] ने बताया कि स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म वित्त योजनाओं और बैंक लिंकेज के माध्यम से दलित महिलाओं को स्वतंत्र आय का स्रोत प्रदान करते हैं जिससे पति की आय पर निर्भरता कम होती है और महिलाओं में स्वतंत्र चिंतन, निर्णय-क्षमता एवं सामाजिक सहारा बढ़ता है।

जाति और लिंग का अंतर्संबंध:

नरेन्द्रन एवं मनियालथ[5] ने केरल के संदर्भ में जाति प्रणाली और महिला उद्यमिता के संबंधों की जाँच करते हुए बताया कि सरकारी कार्यक्रम उद्यमशील गतिविधि में सहायक तो होते हैं किन्तु जाति-आधारित भेदभाव अभी भी महत्वपूर्ण बाधा है। **गुएरिन एवं कुमार**[6] ने तमिलनाडु में दलित और गैर-दलित महिलाओं के बीच स्वयं सहायता समूह में जातिगत पूर्वाग्रह और अंतर्विरोधों को रेखांकित किया, जहाँ दोनों पक्षों में गहरा अविश्वास व्याप्त है।

अध्ययन क्षेत्र एवं शोध प्राविधि:

प्रस्तुत शोध अध्ययन जनपद अयोध्या (उत्तर प्रदेश) के मिल्कीपुर विकासखंड पर आधारित है। मिल्कीपुर एक कृषि-प्रधान विकासखंड है जो अयोध्या नगर से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात जनपद के औसत से अधिक है और

महिलाओं की साक्षरता दर राज्य औसत से कम है। यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दोनों प्रकार का है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन का सैद्धांतिक आधार अंतर्विभागीय दृष्टिकोण है, जो जाति, लिंग और वर्ग के अंतर्संबंधों को एक साथ विश्लेषित करता है। आँकड़ों का विश्लेषण गुणात्मक एवं मात्रात्मक (आवृत्ति, प्रतिशत, सारणीकरण) दोनों विधियों से किया गया।

प्रतिदर्श आकार:

मिल्कीपुर विकासखंड के 10 गाँवों से उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन विधि द्वारा 150 अनुसूचित जाति की महिलाओं का चयन किया गया जिनमें 80 उद्यमशील (स्वयं सहायता समूह सदस्य, लघु व्यवसायी, कुटीर उद्योग संचालक) और 70 गैर-उद्यमशील महिलाएँ शामिल हैं।

आँकड़ा संग्रहण उपकरण:

अर्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची, केन्द्रित समूह चर्चा, और प्रतिभागी अवलोकन विधि का उपयोग किया गया। द्वितीयक स्रोत, जैसे- जनगणना आँकड़े, जिला सांख्यिकीय पत्रिका, विकासखंड कार्यालय के अभिलेख, स्वयं सहायता समूहों रजिस्टर, और सरकारी योजनाओं के प्रतिवेदन इत्यादि का उपयोग किया गया।

सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि:

प्रस्तुत अध्ययन में सम्मिलित अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति निम्नवत है - आयु वर्ग: अधिकांश उद्यमशील महिलाएँ 25-45 वर्ष आयु वर्ग में थीं। शिक्षा: लगभग 45% महिलाएँ निरक्षर या प्राथमिक स्तर तक शिक्षित थीं, जबकि केवल 12% ने माध्यमिक स्तर से ऊपर शिक्षा प्राप्त की थी। पारिवारिक आय: 60% से अधिक परिवारों की मासिक आय ₹5,000 से कम थी। भूमि स्वामित्व: 70% से अधिक महिलाओं के पास या तो कोई भूमि नहीं थी या न्यूनतम भूमि (0.5 एकड़ से कम) थी। ये आँकड़े पुष्टि करते हैं कि अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है, जो सामान्य महिलाओं और अनुसूचित जाति की महिलाओं दोनों पर लागू होती है।

उद्यमिता के प्रमुख प्रतिमान:

मिल्कीपुर विकासखंड में अनुसूचित जाति की महिलाओं में उद्यमिता के निम्नलिखित प्रमुख प्रतिमान चिह्नित किए गए-

क)स्वयं सहायता समूह आधारित शूक्ष्म उद्यम-

यह सर्वाधिक प्रचलित प्रतिमान है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएँ सामूहिक बचत, आंतरिक ऋण और बैंक लिंकेज के माध्यम से लघु व्यवसाय संचालित कर रही हैं। इनमें अगरबत्ती निर्माण, पापड़-अचार निर्माण, साबुन बनाना, और सिलाई-कढ़ाई प्रमुख हैं। अध्ययनों से ज्ञात है कि स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को अनौपचारिक रोज़गार से सशक्त उद्यमिता की ओर स्थानांतरित किया है।

ख) कृषि आधारित उद्यम-

पशुपालन (गोपालन, भैंस पालन), डेयरी उत्पादन, और सब्ज़ी-उत्पादन आधारित लघु उद्यम इस क्षेत्र में दूसरा प्रमुख प्रतिमान है। उत्तर प्रदेश सरकार की गो-आधारित अर्थव्यवस्था योजना के अंतर्गत अनुसूचित महिलाओं को गो-पालन आधारित आजीविका से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

ग)परम्परिक शिल्प एवं कुटीर उद्योग-

कुछ महिलाएँ पारम्परिक हस्तशिल्प, बुनाई, टोकरी बनाने और मिट्टी के बर्तन जैसे कार्यों में संलग्न पाई गई। ये अधिकांशतः स्व-रोज़गार के रूप में हैं और इनका बाज़ार विस्तार सीमित है।

घ)सेवा क्षेत्र आधारित उद्यम-

कुछ महिलाएँ ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, और मोबाइल रिचार्ज जैसी सेवाओं में नई पहल कर रही हैं, किन्तु इनकी संख्या अत्यन्त सीमित है।

उद्यमिता को प्रभावित करने वाले कारक:

अनुसूचित जाति की महिलाओं में उद्यमिता विकास प्रभावित करने वाले कारकोण को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

साधक करक:

अनुसूचित जाति की महिलाओं में उद्यमिता विकास के अनेक साधक कारक बताये गये है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन /दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को सामूहिक उद्यमिता का मंच प्रदान किया है। SHGs न केवल वित्तीय संसाधन, बल्कि सामाजिक पूँजी, सहकर्मी समर्थन और सशक्तिकरण भी प्रदान करते हैं।
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना के तहत 2025 तक 1 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है और बजट आवंटन ₹100 करोड़ से ₹200 करोड़ तक बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की विभिन्न योजनाएँ महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण हेतु कार्यरत हैं।
- शिक्षा के प्रसार और मीडिया के प्रभाव से अनुसूचित जाति की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की चेतना बढ़ी है।

बाधक कारक:

अनुसूचित जाति की महिलाओं में उद्यमिता विकास के अनेक बाधक कारक बताये गये है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-

- जातिगत भेदभाव सबसे गहन और स्थायी बाधा है। जातिगत पूर्वाग्रह न केवल बाज़ार तक पहुँच को सीमित करते हैं, बल्कि स्वयं सहायता समूहों के भीतर भी दलित और गैर-दलित महिलाओं के बीच गहरा अविश्वास बना रहता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की गतिशीलता पर प्रतिबंध, पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ और निर्णय-प्रक्रिया में पुरुष वर्चस्व उद्यमिता को बाधित करते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को सरकारी सहायता और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेहतर वित्तीय पहुँच मिलती है, किन्तु अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए यह पहुँच अभी भी अपर्याप्त है। पूँजी की कमी के कारण कई महिलाएँ साहूकारों पर निर्भर रहती हैं।
- निम्न साक्षरता दर, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव और प्रबंधकीय कौशल की कमी उद्यमिता की गुणवत्ता और स्थायित्व दोनों को प्रभावित करते हैं।
- उत्पादों के लिए विस्तृत बाज़ार तक पहुँच का अभाव और मध्यस्थों पर निर्भरता इन महिलाओं के लाभ को न्यूनतम कर देती है।

सामाजिक सशक्तिकरण पर प्रभाव:

अनुसूचित जाति की उद्यमशील महिलाओं में गैर-उद्यमशील महिलाओं की तुलना में कई सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन देखे गए-

- स्वयं सहायता समूह सदस्यता और उद्यमशील गतिविधियों ने महिलाओं में आत्मविश्वास, स्वतंत्र चिंतन और सामाजिक सहभागिता को बढ़ाया।
- उद्यमशील महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ी, विशेषकर बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्णयों में।
- कुछ सफल महिला उद्यमियों ने ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक-राजनीतिक भागीदारी भी दर्ज की।
- आर्थिक स्वतंत्रता ने कुछ सीमा तक जातिगत हीनभावना को कम किया है, हालाँकि संरचनात्मक भेदभाव अभी भी बना हुआ है।

6. सैद्धांतिक विवेचन:

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्षों को तीन सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है-

1.अन्तर्विभागीय दृष्टिकोण: किम्बर्ले क्रेनशॉ द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धान्त बताता है कि जाति, लिंग और वर्ग की अंतर्क्रिया अनुसूचित जाति की महिलाओं के अनुभवों को विशिष्ट बनाती है। मिल्कीपुर की अनुसूचित जाति की महिलाओं का अनुभव न तो केवल 'जाति' से, न केवल 'लिंग' से,

©The Research Dialogue | Received: 01 April 2026 | Accepted: 05 April 2026 | Published: 10 April 2026

बल्कि दोनों के संयुक्त प्रभाव से निर्धारित होता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में भी इसी अंतर्विभागीय दृष्टिकोण से महिला उद्यमियों की चुनौतियों का अध्ययन किया गया, जिसमें सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड, वित्तीय बाधाएँ और सीमित प्रशिक्षण अवसर प्रमुख बाधाओं के रूप में सामने आए।

2.संसाधन आधारित दृष्टिकोण :

झारखंड के अध्ययन ने यह प्रदर्शित होता है कि मूर्त संसाधन (सूक्ष्म ऋण, प्रशिक्षण, डिजिटल प्लेटफॉर्म) और अमूर्त संसाधन (सशक्तिकरण, सहकर्मी समर्थन, सामाजिक पूँजी) दोनों ही उद्यम की स्थायित्व और विकास के लिए आवश्यक हैं। मिल्कीपुर के संदर्भ में, अमूर्त संसाधनों (आत्मविश्वास, सामुदायिक सहयोग) की कमी मूर्त संसाधनों की कमी जितनी ही महत्वपूर्ण बाधा है।

3. सामाजिक पूँजी सिद्धान्त:

स्वयं सहायता समूह सामाजिक पूँजी के निर्माण का प्रमुख माध्यम हैं। सामूहिक स्वामित्व, पारस्परिक विश्वास और नेटवर्क संबंधों ने इन महिलाओं को उद्यमशीलता की ओर प्रेरित किया है, किन्तु जाति-आधारित सामाजिक विभाजन इस पूँजी को सीमित करता है।

नीतिगत सुझाव:

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं: जैसे-

- अनुसूचित जाति की महिला उद्यमियों के लिए स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज के अंतर्गत ऋण की मात्रा बढ़ाई जाए और ब्याज दर में रियायत भी दी जाए।
- मिल्कीपुर जैसे विकासखंडों में विशेष कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएँ जो अनुसूचित जाति की महिलाओं को तकनीकी, विपणन और प्रबंधकीय कौशल प्रदान करें।
- व्यापार मेलों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों और ई-कॉमर्स के माध्यम से इन महिलाओं के उत्पादों को विस्तृत बाज़ार उपलब्ध कराया जाए।
- स्वयं सहायता समूहों के गठन और संचालन में जातिगत पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएँ, जिसमें अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए पृथक स्वयं सहायता समूहों का गठन भी एक विकल्प हो सकता है।
- सफल अनुसूचित जाति की महिला उद्यमियों को 'रोल मॉडल' के रूप में प्रस्तुत कर अन्य महिलाओं को प्रेरित किया जाए।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ने हेतु इन महिलाओं में डिजिटल साक्षरता का प्रसार अत्यन्त आवश्यक है।

उपसंहार:

प्रस्तुत शोधपत्र में मिल्कीपुर विकासखंड में अनुसूचित जाति की महिलाओं में उद्यमिता के प्रतिमान अत्यंत धीमे हैं किन्तु ये सार्थक परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। समग्र रूप से देखा जाय तो, सूक्ष्म उद्यमों ने अनुसूचित जाति की ग्रामीण निर्धन महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में महती भूमिका अदा की है। स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं ने इन महिलाओं को सूक्ष्म उद्यमों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया है, किन्तु जातिगत भेदभाव, पितृसत्तात्मक मानसिकता, शिक्षा का अभाव और वित्तीय बाधाएँ अभी भी गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। उद्यमिता का विकास केवल आर्थिक प्रगति का माध्यम नहीं है अपितु यह सामाजिक गतिशीलता, आत्मसम्मान और सशक्तिकरण का भी मार्ग है। जैसा कि **अमलदास एवं ज्ञानदेव** ने कहा- "जब एक महिला आगे बढ़ती है, तो परिवार, गाँव और राष्ट्र आगे बढ़ता है।"[9]

संदर्भ सूची:

1.Mandal, S., & Harnwal, S. (Year). Entrepreneurial challenges of Scheduled Caste women: A study of Chirang district of Assam. Journal Name, Volume(Issue), pp.48.

©The Research Dialogue | Received: 01 April 2026 | Accepted: 05 April 2026 | Published: 10 April 2026

2.Muniraju, Y. (Year). Performance and efficiency of Scheduled Caste women entrepreneurs in rural Karnataka. Journal Name, Volume(Issue), pp.72–75.

3.Sachan, V., & Sethi, S. (Year). Entrepreneurship among rural Scheduled Caste women: A study of Hisar district, Haryana. Journal Name, Volume(Issue), pp. 33.

4.Alam, T. (2018). "Dalit Women Empowerment through Self Help Groups: A Critical Analysis." *Semantic Scholar,* pp. 1-12.

5.Narendran, R., & Maniyalath, N. (2018). *Caste system and women entrepreneurship in Kerala*. Indian Journal of Social Research, 59(2), pp. 120–135.

6.Guérin, I. & Kumar, S. (2017). "Microcredit Self-help Groups and Dalit Women." In: *India's Unfree Workforce,* pp. 112-136.

7.Amaldass, M. & Gnanadev, N. (2016). "Rural Dalit Women Entrepreneurs and Development Scenario: A Study." *Journal of Entrepreneurship & Management,* 5(1), pp. 1-10.

Cite this Article:

Rahul, "The Changing Face of Caste in India: Reform, Struggle and the Politics of Power an Analytical Study" The Research Dialogue, Open Access Peer-reviewed & Refereed Journal, Pp.44–49,Volume-05, Issue-01, April-2026, https://theresearchdialogue.com/

This is an Open cess Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

मनमोहन एवं डॉ. देवमणि

For publication of Research Paper title

अनुसूचित जाति की महिलाओं में उद्यमिता के प्रतिमान

(जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विकासखंड पर आधारित समाजशास्त्रीय अध्ययन)

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-05, Issue-01, Month April, Year-2026, Impact Factor (RPRI-4.73)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/

DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i1.07